न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 69 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 109

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1.तेजाराम पुत्र पुराराम जाति जाट
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

2.मुल्तानमल पुत्र पुनमाराम
जाति माली निवासी जसोल
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1.चम्पालाल पुत्र भंवरलाल जाति सैन
निवासी भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा

2.बाबुखां पुत्र हमीरखां जाति मुसलमान
तेली, निवासी बालोतरा,तहसील पचपदरा

3.घेवरचंद पुत्र उदाराम जाति घांची
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

4.आयुक्त,नगर परिषद, बालोतरा

5.ओमप्रकाश पुत्र फरसाराम जाति सोनी
निवासी लोहिड़ा तहसील सिणधरी,

6.कमला देवी पत्नी छगनलाल
जाति प्रजापत निवासी राड़ता
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

7.केवलराम पुत्र मांगाराम जाति कलबी
चौधरी निवासी मजल तहसील समदड़ी

8.कृष्णकुमार पुत्र गलाराम जाति प्रजापत
निवासी भाकरपुरा तहसील पचपदरा

9.कान्ता पुत्री हरीराम जाति सेवक
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

10.चम्पालाल पुत्र रामरतन जाति लखारा
निवासी बाड़मेर तहसील बाड़मेर

11.जुगताराम पुत्र लाखाराम
जाति प्रजापत निवासी दांखा
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

12.दमाराम पुत्र नाथाराम जाति प्रजापत
निवासी क्यार तहसील पचपदरा

13.दलाराम पुत्र पोकरराम जाति प्रजापत
निवासी पारलु हाल बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

14.धुडाराम पुत्र देदाराम जाति प्रजापत

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

निवासी साजीयाली तहसील पचपदरा
15.नरपत पुत्र रामरतन जाति लखारा
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
16.नराराम पुत्र बलुराम जाति राईका
निवासी मानासर हाल बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
17.भंवरलाल पुत्र खुशालजी जाति लखारा
निवासी उम्मेदबाग हाल बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
18.मदनदास पुत्र हड़मानदास जाति संन्त
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
19.मोवनाराम पुत्र हिमताराम
जाति प्रजापत निवासी राड़ता हाल
बालोतरा तहसील पचपदरा
20.विष्णु पुत्र चन्नीलाल जाति प्रजापत
निवासी डुगरी हाल बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
21.समरथाराम पुत्र उकाराम
जाति प्रजापत निवासी राड़ता हाल
बालोतरा तहसील पचपदरा
22.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,
पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री चम्पालाल प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 10/3/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 592/31 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 592/31 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 592/31 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्राथीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 592/31 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 592/31 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.1.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जांना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जेरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 592/31 क्षेत्रफल 1.2141 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10·3·2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा